न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 01/23 सन् 2023

जीसीएमएस संख्या 2023/11

बउनवानीः—1. आशराम पुत्र स्व0 बद्री मीना निवासी करेला तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. काडूराम पुत्र स्व0 बद्री मीना निवासी करेला तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. तहसीलदार लेण्ड होल्डर तहसील सवाईमाधोपुर
2. शंकर लाल पुत्र गंगजी नायक निवासी करेला तहसील सवाईमाधोपुर
3. रमेश पुत्र गंगजी नायक निवासी करेला तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील तहसीलदार सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 03/2020 अन्तर्गत धारा 183बी, मे पारित आदेश दिनांक 9.12.2022 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम सुन्दर शर्मा वकील अपीलान्ट,

—: निर्णय :— दिनांक 13.8.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2020 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 9.12.2022 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी परन्तु रेस्पो. बावजूद तामील उपस्थित नही। अदालत मातंहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि योग्य अदालत मातेहत ने द्वारा मिसल संख्या 3/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 9.12.2022 खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल है। यह तर्क भी दिया कि जिला कलेक्टर कार्यालयं के पत्रांक/समाधान / प्रकोष्ठ/2020/3701 दिनांक 20.7.2020 द्वारा ख0न0 76/780 रकबा 0.40 है0 ग्राम करेला की भूमि पर खातेदार गंगजी पुत्र भूरा नायक साकिन करेला का कब्जा ना होकर अप्रार्थीगण आशाराम, काडूराम पुत्र बदरी मीना का कब्जा है जिसमे अप्रार्थीगण का अमरूदो का बगीचा है उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार 183 बी मे प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेशित किया जाने पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण के विरूद्व नोटिस जारी किया गया। दिनांक 20.7.2020 का समाधान प्रकोष्ठ के अन्तर्गत जारी प्रशासनिक आदेश के तहत धारा 183 बी आरटीएक्ट 1955 के अन्तर्गत बिना सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आर्डर 7 नियम 1 के अन्तर्गत वादी प्रार्थी स्व0 गंगजी पु[illegible]तेहत मे दावा प्रस्तुत नही किया जाता तब तक उक्त समाधान प्रकोष्ठ के [illegible] मुकदमा 183 बी के अन्तर्गत कायम नही किया जा सकता है। यह [illegible] स्व0 गंगजी पुत्र भूरा मार्फत शंकरलाल पुत्र गंगजी द्वारा कोई [illegible] की धारा 183 बी के अन्तर्गत प्रस्तुत नही किया गया है। अदालत मातेहत द्वारा उक्त प्रकरण समाधान प्रको[illegible]पत्र के आधार पर दर्ज कर कानूनी भूल की है। योग्य अदाल[illegible] द्वारा इस तथ्य पर [illegible] नही दिया कि मृतक व्यक्ति के पक्ष में निर्णय नही किया जा सकता है जो निर्णय पारित करके

(कांना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:50 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

अहम भूल की गयी है क्योकि गंगजी पुत्र भूरा का देहान्त दिनांक 10.5.2021 को हो चुका है जिसके कायम मुकान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र आर्डर 22 नियम 3 सीपीसी के अन्तर्गत पत्रावली पर निर्णय दिनांक 9.12.2022 तक भी गंगजी के वारिसान द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे उनवानी मुकदमा गंगजी बनाम आशाराम वगै. के नाम से था जिसमे जब तक रिकार्ड पर सम्पूर्ण वारिसान को कायम मुकामान नही बनाया जाता है मुकदमा केवल शंकरलाल पुत्र गंगजी के नाम से निर्णय करना कानून बिना कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अकेले शंकरलाल नायक पुत्र गंगजी को वारिस नही बनाया जा सकता है इसलिए निर्णय योग्य अदालत मातेहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल है। यह तर्क भी दिया कि गंगजी पुत्र भूरा नायक के दो पुत्र व दो पुत्रिया सहित वर्तमान मे लगभग 11 व्यक्ति गंगजी के वारिसान मुताबिक जमाबन्दी है। जिनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार नही बनाया गया एवं निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता स्व0 बद्री लाल पुत्र मंगल्या मीना, स्व0 गंगजी पुत्र भूरा नायक प्रहलाद पुत्र भूरा नायक निवासी करेला को सन् 1975 मे एक तारीख में भी 5 बीघा 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है तब से ही अपीलान्ट व रेस्पो0 लगातार अपनी–अपनी भूमि पर काबिज काश्त खातेदारी है। अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि ख.न. 76, 76/780 पर बजमाने बुजुर्गान से आवंटन हुआ तब से अपीलान्टस का स्व0 पिता श्री बद्री ओर उसकी मृत्यु के बाद में अपीलान्ट वगै. काबिज काश्त है इस भूमि पर अपीलान्टस ने पुख्ता रिहायशी मकान, टयूबवेल, कुआ विधुत कनेक्शन, अमरूद्वो के पेड लगे हुए है तथा अपीलान्टस यही निवास करते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को बेदखल करके अहम काननूी भूल की गयी है। रेस्पो0 अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 77 पर काबिज है जो करीब 5 बीघा भूमि है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन भू प्रबंधन की प्रक्रिया करते समय अहम कानूनी भूल की है उसकी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का एक दावा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,1956 के अन्तर्गत योग्य अदालत उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण खाारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते है, कि वकील अपीलान्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक गंगजी पुत्र भूरा नायक के विरूद्व निर्णय पारित किया है जबकि निर्णय प्रति के अनुसार शंकर लाल पुत्र गंगजी बनाम आशाराम,कालूराम के नाम से प्रकरण दर्ज होकर निर्णय हुआ है जिससे अपीलान्ट का उक्त कथन उचित नही है। अपीलान्ट के अनुसार मृतक गंगजी के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया है की पुष्टि खाता संख्या 26 ख0न0 76/780 एवं 77 की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 से हो जाती है जिसमे वर्तमान मे शंकर लाल सहित कुल 11 खातेदार है जिनको पक्षकार [illegible] के अतिरिक्त सेटलमेंट विभाग द्वारा की गयी गलती को दुरूस्त करवाने बाब[illegible] भूमि को लेकर उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे राज[illegible] 1956 की धारा 136 के तहत प्रकरण विचाराधीन बताया गया [illegible] पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवायी का अवसर [illegible] गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब नोटिस दि[illegible] 9.12.2022 से हो जाती है। साबिक ख0न0 47 के हाल ख0न0 76/780 रकबा 0.40 है0, ख0न0 77 रकबा 0.85 है0 कुल

(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किता 2 कुल रकबा 1.25 है0 बने है। ख0न0 76/780 रकबा 0.40 है0 पर अपीलान्ट द्वारा कब्ज कर अमरूद्वो का बगीचा लगा रखा है तथा साबिक ख0न0 47 के पास ख0न0 46 मे अपीलान्ट के पिता बदरी पुत्र गंगलया को 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है जिसके नवीन ख0न0 74/769 रकबा 1.26 है0 बने है जिसपर शुरू से ही अपीलान्ट के पिता के पिता का कब्जा रहा है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट का वर्तमान में रेस्पो. का ख0न0 76/780 रकबा 0.40 है0, ख0न0 76 रकबा 0.55 है0,ख0न0 58/771 रकबा 0.16 है, ख0न0 59 रकबा 0.30 है0, ,ख0.न 74/769 रकबा 1.26 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.67 है0 पर कब्जा काश्त है ज़बकि अपीलान्ट के पिता को केवल 5 बीघा भूमि ही आवंटन हुई है शेष रकबा 1:41 है0 पर अपीलान्ट द्वारा नाजायज अतिक्रमण किया हुआ है जिसमे ख0न0 76 रकबा 0.55, 58/771 रकबा 0.16, ख0न0 59 रकबा 0.30 है कुल किता 3 कुल रकबा 1.01 है0 नगर विकास न्यास स0मा0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 9.12.2022 को प्रस्तुत जवाब से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने की पुष्टि बखूबी हो जाती है। जहॉ तक सेटलमेंट विभाग द्वारा की गयी गलती की दुरूस्ती हेतु उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाई माधोपुर में विचाराधीन भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136 के प्रकरण का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण 183 बी कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद पेश किया गया है जिसमे सेटलमेंट विभाग की गलती को दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रकरण के आधार पर अपीलान्ट की बेदखली की कार्यवाही को नही रोका जा सकता है। जहॉ तक मृतक व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत जवाब मे किसी पक्षकार के फोत हो जाने की सूचना नही दी गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को रेस्पो0 की खातेदारी भूमि ख0न0 76/780 रकबा 0.40 है0 पर से बेदखल किया गया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner